न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/621

1. मोडू लाल आत्मज रतिराम जाति मीना निवासी ग्राम हरिपुरा उर्फ जावरा की झौपडियॉ तहसील व जिला बून्दी ।
2. खेमराज आत्मज रतिराम जाति मीना निवासी ग्राम हरिपुरा उर्फ जावरा की झौपडियॉ तहसील व जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. गोपाल लाल आत्मज रतिराम जाति मीना निवासी हरिपुरा उर्फ जावरा की झौपडियॉ तहसील व जिला बून्दी ।
2. छोटू लाल आत्मज रतिराम जाति मीना निवासी हरिपुरा उर्फ जावारा की झौपडियॉ तहसील व जिला बून्दी।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 08.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम हरिपुरा उर्फ जावरा की झौंपडिया में खाता संख्या 12 की भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 141 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 143 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा कुल 03 किता की रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि को पक्षकारान के पिता रतीराम द्वारा नोतोड कर आबाद किया और कृषि योग्य बनाया तब से ही रतीराम उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था । प्रतिवादी गोपाल कर्ता खानदान के रूप में घर का कार्य सम्पन्न करता था । गोपाल ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर उक्त भूमि को अपने नाम आवंटन करवा लिया था जबकि वास्तव में उक्त भूमि पर वादीगण का प्रतिवादी के साथ बराबर–बराबर हिस्से पर बहैसियत खातेदार कब्जा चला आ रहा है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि विवादित आराजी का विधिवत विभाजन करवाये और अपने हिस्से 1/4 पर अपने खातेदारी अधिकारों की स्वतंत्र रूप से घोषणा करवा कर हिस्सा 1/4 भूमि पर अपना नाम खातेदार के स्थान पर अंकित करवाये ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्से की भूमि 1/4 वादीगण के पक्ष में बंटवारा किया जावे तथा वादीगण के हिस्से 1/4 में आई कृषि भूमि को वादीगण के स्वतंत्र खाते में अंकित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.03.2017 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के पिता रतिराम ने सिवायचक से फाडतोड कर आबाद किया व कृषि योग्य बनाया जिसमे रतिराम का सहयोग अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट ने किया । उक्त आराजी पर पक्षकारान के पिता रतिराम काबिज काश्त करते चले आ रहे थे उनके वृद्ध होने पर रेस्पोडेन्ट कम 1 गोपाल वयस्क होने के कारण एवं अपीलान्ट नाबालिग होने के कारण उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट कम 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर अपने अकेले के नाम आवंटन करवाया लिया जबकि उक्त भमि अपीलान्ट के पिता के द्वारा आबाद की गई थी । उक्त आराजी में वादीगण अपीलान्ट का भी हक हिस्सा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब निर्णय पारित किया गया था उस समय अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं थे । अनके अभिभाषक ने भी उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं दी और न ही अपीलान्ट अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर पाए थे । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में अपने अभिभाषक से सम्पर्क करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. उक्त अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया था । वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी के नाम दर्ज है परन्तु इस आराजी को पक्षकारान के पिता रतिराम ने कृषि योग्य बनाया था और वे काबिज काश्त रहे थे। रतिराम काफी वृद्ध हो गया था और वादीगण छोटे थे इस कारण प्रतिवादी गोपाल कर्ता खानदान के रूप में घर का कार्य सम्पन्न करता था । उनके द्वारा उक्त आराजी को अपने नाम आंवटन करवा लिया जबकि इस आराजी पर वादीगण का प्रतिवादी के साथ बहैसियत खातेदार कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वो अपने 1/4 हिस्से को अपने नाम दर्ज करवाए । प्रतिवादी गोपाल के द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया

फिर भी दावा वादी खारिज किया है । तनकीयात पर विवेचन त्रुटिपूर्ण रूप से किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट के द्वारा एक वाद हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया और यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर उनके पिता काबिज थे और प्रतिवादी कर्ता खानदान होने से उक्त भूमि को उन्होंने अपने नाम आवंटन करवा लिया । अतः वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे । प्रतिवादी गोपाल के द्वारा इसमें इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया था ।

11. पत्रावली पर मोडू लाल पीडब्ल्यू–1, रति लाल पीडब्ल्यू–2 के बयान कराये गये हैं ।

12. इसके अलावा छोटूलाल एवं हेमराज के शपथ पत्र पीडब्ल्यू–3, पीडब्ल्यू–4 के रूप में पत्रावली में संलग्न है परन्तु उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्रों की ताईद नहीं की है ।

13. पत्रावली पर नकल जमाबन्दी सवंत् 2052–56 प्रदर्श– 1, नकल जमाबन्दी सवंत् 2058 से 2061 प्रदर्श– 2, नकल खसरा गिरदावरी सवंत् 2054 से 2056 प्रदर्श– 3, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 4, पंचायत का प्रमाण पत्र प्रदर्श– 5, बंटवारे की पानडी प्रदर्श–6 पेश किये हैं ।

14. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनमें से नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 व 2 के अनुसार वादग्रस्त आराजी गोपाल पुत्र रतिराम के खाते में दर्ज है । वादीगण का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी पारिवार के कर्ता की हैसियत से उनके नाम दर्ज है परन्तु पेश किये गये राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी गोपाल के तन्हा खाते में दर्ज है । बिना किसी वैध दस्तावेज यथा विक्रय पत्र अथवा दानपत्र वादग्रस्त में वादीगण को सहखातेदार घोषित नहीं किया जा सकता । वादग्रस्त आराजी पेश किये गये राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पैतृक भी नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादीगण खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2017 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/5/19

(भागवंती जेठवानी)

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/621

1. मोडू लाल आत्मज रतिराम जाति मीना निवासी ग्राम हरिपुरा उर्फ जावरा की झौपडियॉ तहसील व जिला बून्दी ।
2. खेमराज आत्मज रतिराम जाति मीना निवासी ग्राम हरिपुरा उर्फ जावरा की झौपडियॉ तहसील व जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. गोपाल लाल आत्मज रतिराम जाति मीना निवासी हरिपुरा उर्फ जावरा की झौपडियॉ तहसील व जिला बून्दी ।
2. छोटू लाल आत्मज रतिराम जाति मीना निवासी हरिपुरा उर्फ जावारा की झौपडियॉ तहसील व जिला बून्दी।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्या: 07/दावा/2003

1. खेमराज आत्मज रतिराम जाति मीना निवासी ग्राम हरिपुरा उर्फ जावरा की झौपडियॉ तहसील व जिला बून्दी ।
2. मोडू लाल आत्मज रतिराम जाति मीना निवासी ग्राम हरिपुरा उर्फ जावरा की झौपडियॉ तहसील व जिला बून्दी ।
3. छोटू लाल आत्मज रतिराम जाति मीना निवासी हरिपुरा उर्फ जावारा की झौपडियॉ तहसील व जिला बून्दी।

——वादी

बनाम

1. गोपाल लाल आत्मज रतिराम जाति मीना निवासी हरिपुरा उर्फ जावरा की झौपडियॉ तहसील व जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 08.05.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री लीलाधर सिंह एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 08.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

8/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा